निजी स्कूल में 5वीं के छात्र से प्राचार्य के पति ने की मारपीट

बालक के हाथों में आई सूजन, पिता ने देहात थाने में की शिकायत, प्राचार्य ने दी स्कूल से टीसी काटने की धमकी

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। शहर की तिरुपति कॉलोनी स्थित Reom kids School में कक्षा 5वीं के एक मासूम छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के पिता मुनेश रघुवंशी निवासी ग्राम पाटई ने मंगलवार को थाना देहात पुलिस को आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

आवेदन के अनुसार पीड़ित छात्र मुनिराज रघुवंशी के साथ विद्यालय की प्राचार्य के पति ओमप्रकाश शर्मा द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि

उन्होंने छात्र के दोनों हाथों और सिर पर कई बार प्रहार किए, जिससे हाथों में गंभीर सूजन आ गई और सिर में भी चोट पहुंची है। इस घटना से मासूम बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद भयभीत है। पीड़ित के पिता ने आवेदन में उल्लेख किया है कि ओमप्रकाश शर्मा स्वयं एक शासकीय शिक्षक हैं, जबकि वह इस निजी स्कूल का संचालन व प्रबंधन भी संभालते हैं। अपने पद का रौब दिखाकर बच्चे से मारपीट करने और परिजन को धमकाने पर पुलिस से मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई गई है।

स्कूल से जाना पक्ष तो उन्होंने कराई बात

इस सबंध में जब नवभारत के प्रतिनिधि द्वारा ओमप्रकाश शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि वह पीड़ित छात्र के घर पर ही बैठे है और उनके पिता जी हमारे घर के संबंध, कोई मैटर नहीं है, आप कहो तो मैं आपकी बात मुनेश जी से करा देता हूं, इसके बाद कॉल होल्ड पर होती है और फोन कट जाता है। वहीं चंद मिनिट बाद फिर से फोन आता है, और ओमप्रकाश शर्मा द्वारा कथित मुनेश रघुवंशी से बात कराई जाती है, जो सामने से कहते नजर आते है कि जो हमारा मैटर था वह सॉल्व हो चुका है। जब उनसे मिलने की पूछा जाता है तो उनके द्वारा फोन काट दिया जाता है।

विरोध करने पर मिली टीसी काटने की धमकी

छात्र के पिता का आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध में ओमप्रकाश शर्मा से बात की तो उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय उन्हें धमकी दी कि जहां शिकायत करनी हो कर दो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसके साथ ही शिकायत की तो बच्चे की टीसी काट देने की धमकी दी गई, जिससे जहां एक ओर पीड़ित पिता को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है, तो वहीं स्कूल में अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चे के साथ की गई मारपीट ने उन्हें शिकायत करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पुलिस व प्रशासन से मांग की है वह उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्यवाहीं करे।

एसडीएम के सामने छलका कुंवरपुर के किसानों का दर्द

पानी भरने से जलमग्न हुई फसलें

किसानों की व्यथा सुन एसडीएम ने लिया एक्शन

नवभारत न्यूज

चंदेरी। प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) मनीष धनगर के समक्ष ग्रामीणों की गंभीर समस्याएं सामने आईं। इसमें मुख्य रूप से कुंवरपुर गांव के दर्जनों पीड़ित किसानों ने उपस्थित होकर अपनी व्यथा सुनाई। कुंवरपुर के किसानों (जिनमें अधिकतर आदिवासी समाज के लोग शामिल हैं) ने एसडीएम को बताया कि गांव के ही देवेंद्र, महेंद्र सिंह लोधी पुत्र तुलाराम लोधी द्वारा मिट्टी का पाड़ (मेढ़/बांध) बना दिया गया है। इसके कारण बारिश और जलभराव का पानी सीधा किसानों के खेतों में भर गया, जिससे उनकी खड़ी फसलें पूरी तरह चौपट होने की कगार पर पहुंच गईं। किसानों ने पाड़ हटाने और हुए नुकसान के मुआवजे की गुहार लगाई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीएम मनीष धनगर ने बिना देरी किए तत्काल क्षेत्रीय पटवारी को जांच के लिए कुंवरपुर गांव रवाना किया। मीडिया के संज्ञान में आने के बाद प्रशासनिक टीम ने शाम तक मौके पर पहुंचकर समस्या का त्वरित समाधान कराया, जिससे खेतों से पानी का निकास संभव हो सका और किसानों की फसलें बर्बाद होने से बच गईं।

ग्राम झागर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित

नवभारत शाढ़ौरा। कलेक्टर साकेत मालवीय के निर्देशानुसार स्वैच्छिकता पर्व पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद की ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति करख्या तथा नवांकुर संस्था जय मां करीला देवी जन शिक्षा सेवा समिति ने ग्राम झागर(करख्या) गौशाला मे अमरूद, जामुन,बेलपत्र व अमला आदि के पौधे रोपित किए गए। इस कार्यक्रम मे जिला समन्वयक बद्री प्रसाद चौहान ने बताया कि प्रकृति को संतुलित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधे अवश्य लगाये,एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाएं। विकासखंड समन्वयक मनोज यादव ने बताया कि परिषद द्वारा प्रत्येक समिति में 100 पौधे लगाने तथा उसे संरक्षित करने का लक्ष्य रखा है। जिला समन्वयक द्वारा सेक्टर स्तरीय म्यांपुर नर्सरी का भी निरीक्षण किया। एक आंबला का पौधा लगाया। नवांकुर संस्था के अध्यक्ष विवेक रघुवंशी, करख्या समिति के अध्यक्ष दिनेश रघुवंशी,गौरव रघुवंशी, रामबाबू सिंह रघुवंशी, गिर्राज शर्मा सहित सदस्य उपस्थित थे।

एक नजर में

चंदेरी पुलिस ने बनाई मानव श्रृंखला दिलायी नशामुक्ति की शपथ

नवभारत चंदेरी। युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने और समाज में बढ़ती नशीले पदार्थों की मांग को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान के तहत अशोकनगर एसपी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में चंदेरी पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 कार्यक्रम आयोजित किया।

इसी क्रम में मंगलवार को चंदेरी के नया बस स्टैंड पर एक वृहद जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने एक साथ मिलकर मानव श्रृंखला बनाई और समाज को नशे के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों को नशीले पदार्थों से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। 15 से 30 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान में पुलिस का उद्देश्य हर वर्ग तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाना है। इस अवसर पर थाना प्रभारी प्रशांत यादव, उपनिरीक्षक कदम सिंह मीना, भोजराम भगत, एएसआई रूपचंद्र साहू, जगदीश पाराशर, सतीश वर्मा और योगेंद्र रघुवंशी सहित पुलिस बल एवं स्थानीय नागरिक मुख्य रूप से मौजूद रहे।

संस्कृत ओलंपियाड में नगर की अविका भट्ट का शानदार प्रदर्शन, प्रदेश में दूसरा स्थान

नवभारत मुंगावली। जिले की मुंगावली तहसील स्थित केंद्रीय विद्यालय की छात्रा अविका भट्ट पुत्री अरुण भट्ट जो कि न्यायालय मुंगावली में कार्यरत है कि बिटिया ने तृतीय ऑनलाइन संस्कृत ओलंपियाड-2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 100 में से 94 अंक अर्जित कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। संस्कृत ओलंपियाड का आयोजन विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग लेते हैं। परीक्षा पूर्णत: संस्कृत भाषा में वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रारूप में आयोजित होती है जिसमें संस्कृत व्याकरण, श्लोकों का अर्थ तथा भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नकद पुरस्कार, मेडल, स्मृति चिन्ह तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं। अविका भट्ट की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर उनके माता-पिता, शिक्षकों, परिजनों और शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा

पीड़ित के नाम से फर्जी खाता खोल हड़पे एक लाख रूपए, एसपी से की शिकायत

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। प्रधानमंत्री आवास (कुटीर) योजना की पहली किस्त में जालसाजी का एक गंभीर मामला सामने आया है। शहर के वार्ड क्रमांक-6, नहर कॉलोनी निवासी पीड़ित रतनलाल प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर न्याय और राशि वापसी की गुहार लगाई है।

पीड़ित के अनुसार उन्होंने योजना का लाभ पाने के लिए अपने केनरा बैंक की पासबुक जमा कराई थी और उनका पोस्ट ऑफिस में कोई खाता नहीं था। बावजूद इसके उनकी जानकारी के बिना डाकघर की मुख्य शाखा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनके नाम से खाता खोल दिया गया। इस फर्जी खाते में पीड़ित का मोबाइल नंबर न डालकर किसी अज्ञात नंबर (9479596351) को जोड़ा गया। पीड़ित ने बैंक स्टेटमेंट की प्रति पुलिस को सौंपते हुए फर्जी खाता खोलने वाले सरकारी योजना का पैसा हड़पने वाले और इसमें

शामिल सभी संबंधित दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

नगर पालिका पहुंचे तो हुआ खुलासाः

जब रतनलाल किस्त की जानकारी लेने नगर पालिका पहुंचे, तब अधिकारियों ने बताया कि 1 लाख रुपये की पहली किस्त बहुत पहले जारी हो चुकी है। इसके बाद जब उन्होंने डाकघर पहुंचकर खाते का स्टेटमेंट निकाला, तो पता चला कि पूरी राशि रवि नामक व्यक्ति द्वारा अलग-अलग बार में निकाल ली गई है।

रेडक्रॉस के माध्यम से आवेदक को मिली आर्थिक सहायता

अशोकनगर। कलेक्टर साकेत मालवीय के समक्ष में जनसुनवाई में ग्राम जुग्या के आवेदक रामकृष्ण बंजारा द्वारा मां के उपचार हेतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन दिया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर जिला रेडक्रॉस सोसायटी के कोषाध्यक्ष देवेन्द्र अग्रवाल द्वारा मंगलवार को आवेदक की मां को 06 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि हेतु चेक प्रदाय किया गया।

कलेक्टर ने सुनीं आवेदकों की समस्याएं

जनसुनवाई में आए 221 आवेदन

अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश

नवभारत न्यूज

अशोकनगर । जिला मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवीय ने आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 221 आवेदकों ने आवेदन दिए। कलेक्टर श्री मालवीय ने प्रत्येक आवेदन का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई शासन और प्रशासन के प्रति नागरिकों के विश्वास का माध्यम है, इसलिए प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए।

जनसुनवाई में ग्राम सिकन्दरा निवासी कृष्णपाल द्वारा भूमि का रिकॉर्ड न मिलने, बुद्ध विहार कालोनी अशोकनगर निवासी इमरत बाई द्वारा पीएम आवास दिलाये जाने, ग्राम खेजरा कला निवासी राजू रघुवंशी द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने, ग्राम बमनावर निवासी रमेश द्वारा खसरा न चढ़ाये जाने, ग्राम रसूलपुर निवासी मानसिंह अहिरवार द्वारा सीमांकन बाद कब्जाा न छोडने, मुंगावली निवासी काशीराम मांझी द्वारा पट्टा राशि जमा कराये जाने, ग्राम गहोरा निवासी निदेश साहू द्वारा सोयाबीन की फसल में दवा डालकर नष्टे किये जाने, ग्राम गहोरा निवासी बाबूलाल द्वारा आधा अधूरा सीमांकन करने, ग्राम मढ़ी बुजूर्ग निवासी राजकुमार द्वारा चरनोई भूमि को कब्जा मुक्त करने, ग्राम कोहरवास निवासी बुंदेल द्वारा योजनान्तर्गत ऋण दिलाये जाने, ग्राम रतवास निवासी गोकुल द्वारा नामांतरण पर तत्काल स्टे लगाने, ग्राम कमालपुर निवासी मुंगी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाये जाने, ग्राम शहबाजपुर निवासी रामचरण द्वारा बीपीएल सूची में नाम जोडे जाने की मांग की गई। इस मौके पर जिला अधिकारी मौजूद रहे।

देह व्यापार और ब्लैकमेलिंग की आरोपी महिला के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

पुलिस, प्रशासन और नपा की संयुक्त कार्रवाई

दीपेश कालोनी स्थित टीनशेड तोड़े

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस व प्रशासन का कड़ा रुख जारी है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में मंगलवार को देह व्यापार और ब्लैकमेलिंग के गंभीर मामलों में शामिल आरोपी महिला सीमा अहिरवार के अवैध निर्माणों पर बुल्डोजर चलाकर उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को थाना कोतवाली पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीमा अहिरवार और उसके साथी को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा आरोपी महिला और उसके सहयोगी भारत अहिरवार पर लोगों को अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर धन उगाही (ब्लैकमेलिंग) करने का भी अपराध दर्ज है।

बिना अनुमति बने मकानों पर हुई कार्रवाई

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी महिला दीपेश कॉलोनी (बायपास रोड) में अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित कर रही थी। नगर पालिका की जांच में उसके दो मकान बिना किसी वैध अनुमति के बने पाए गए। इसके बाद नगर पालिका, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया।

पंचमुखी हनुमान मंदिर पर क्षेत्र में अच्छी बारिश के लिए की महादेव की आराधना

नवभारत अशोकनगर। यादव कालोानी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में गुप्त नवरात्रि के सप्तम दिवस पर धार्मिक अनुष्ठानों का भव्य आयोजन किया गया। पुजारी किशन लाल मिश्रा के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने भगवान नर्मदेश्वर गौरी-शंकर का पंचामृत से विधिवत अभिषेक व पूजन किया। देवी भागवत का उल्लेख करते हुए पुजारीजी ने बताया कि गुप्त नवरात्रि की सातवीं महाविद्या मां धूमावती सकल सिद्धियों को देने वाली हैं। उनका ध्यान करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मां धूमावती साधक के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे पांचों शत्रुओं का दमन कर देती हैं। पूजन के दौरान माता रानी को उड़द दाल, चावल व काले तिल की खिचड़ी तथा सफेद पेड़े का विशेष भोग अर्पित किया गया। इसके उपरांत विधिवत हवन कर महाआरती की गई। वहीं संध्या काल में महेंद्र मिश्रा के संगीतमय नेतृत्व में सुंदरकांड पाठ का आयोजन तय किया गया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने क्षेत्र में अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना करते हुए हर-हर महादेव के जयकारे लगाए।

चंदेरी में शिविर कल

अशोकनगर। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत जिले में 2351 लंबित आवेदन जिन पर बैंक द्वारा अस्वीकृति का कारण दर्ज है। साथ ही जिले में 1466 लंबित आवेदनों जिन पर आवेदनों मे हितग्राही द्वारा दर्ज किया गया है। ऐसे संबंधित हितग्राहियों की समस्याओं के समाधान हेतु जिले की तहसील चंदेरी में 23 जुलाई 2026 को शिविर का आयोजन किया गया है।

न्यायालय तहसीलदार तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

क्रमांक/ड-154/2026

चंदेरी दिनांक 20/07/2026

//विज्ञप्ति//

आवेदक धनीराम बरार पुत्र हीरालाल बरार निवासी ग्राम फतेहाबाद तहसील चंदेरी द्वारा अपनी बहन लीला पिता/पत्नी हीरालाल की मृत्यु दिनांक 20/08/2019 को ग्राम फतेहाबाद में मृत्यु होने का हवाला देकर उक्त मृत्यु का पंजीयन करने हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से किए जाने का आवेदन किया है।

अत: प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28/07/20 26 को इस न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद म्याद गुजर जाने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जावेगी

दिलीप दरोगा
तहसीलदार
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

आरोप — ग्राम पंचायत का उप सरपंच बना नगर पंचायत का वरिष्ठ पार्षद, कांग्रेस का आरोप नप में बाहरी व्यक्तियों को दिये गये पद

नगर पंचायत शाढ़ौरा में नियम विरुद्ध हुई एल्डर मैन की नियुक्ति

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जिले की नगर पंचायत शाढ़ौरा में पिछले दिनों राज्य शासन द्वारा एल्डरमैन (वरिष्ठ पार्षद) की जो नियुक्तियां की गईं है, उनमें दो व्यक्तियों की नियुक्तियां नियम विरुद्ध है। और उनमें नियमों की अनदेखी की गई है। तथा एक नहीं दो-दो अपात्र व्यक्तियों को एल्डरमैन बनाया गया है। जगदीश शर्मा पुत्र माधव प्रसाद शर्मा पंचायत ग्राम मढ़ी नामदार पोस्ट सेजी शाढ़ौरा, संजीव रघुवंशी पुत्र बुंदेल सिंह रघुवंशी पंचायत ग्राम म्यापुर शाढ़ौरा को एल्डरमैन नियुक्त किया गया है। यह दोनों ही व्यक्ति नगर

पंचायत शाढ़ौरा के मतदाता नहीं है। कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र रघुवंशी ने आरोप लगाते हुए बताया कि शाढ़ौरा नगर पंचायत में बाहरी लोगों को एल्डरमैन बनाया गया है। इनमें एक व्यक्ति तो ऐसा है जो ग्राम पंचायत में उप सरपंच भी है और उसे ही नगर पंचायत शाढ़ौरा में एल्डरमैन भी बनाया गया है। जिससे एक ही व्यक्ति को दो-दो लाभ के पदों पर नियुक्ति का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं एल्डरमैन की नियुक्ति में नियमानुसार जो योग्यता होना चाहिए उस पर दोनों ही व्यक्ति खरे नहीं उतर रहे हैं।

क्योंकि दोनों ही व्यक्ति नगर पंचायत शाढ़ौरा के ना तो मूल निवासी है,उ और ना ही मतदाता हैं।

शाढ़ौरा नगर पंचायत में जगदीश शर्मा पुत्र माधव प्रसाद शर्मा पंचायत ग्राम मढ़ी नामदार पोस्ट सेजी शाढ़ौरा के हैं और, संजीव रघुवंशी पुत्र बुंदेल सिंह रघुवंशी पंचायत ग्राम म्यापुर शाढ़ौरा के हैं तथा यह तो ग्राम पंचायत के उपसरपंच भी है, ऐसे में एक ही व्यक्ति को दो पदों का लाभ मिलेगा,जो अवैध है।

यह नियम हैं एल्डरमैन नियुक्ति के

एल्डरमैन (नगरीय निकाय का मनोनीत पार्षद) बनने के लिए मूल रूप से निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। विशेष ज्ञान और अनुभव, व्यक्ति के पास नगर निगम प्रशासन, जनहित, समाज सेवा या स्थानीय प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। आयु, व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वोटर होना,उन्हें संबंधित नगर निगम क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।नागरिकता,उन्हें भारत का नागरिक होना आवश्यक है।कानूनी पात्रता, व्यक्ति को किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया हो और वह चुनाव लड़ने या नामित होने के लिए अयोग्य घोषित न हो हुई।